लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 74/2017

श्रीमति पूजा पत्नी श्री कपिल कौशिक जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

............*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

..........*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 08.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2072 में श्रीमति पूजा पत्नी श्री कपिल कौशिक जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर ने ग्राम मसूदा –।। स्थित खसरा नम्बर 4540/3606 रकबा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म आबी–। भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के पक्का निर्माण कर कृषि से अकृषि कार्य कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार मसूदा के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 3/2015 पंजीबद्व किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.09.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही उन्हें आदेशित किया गया कि अतिचारी विवादित भूमि पर से अपने खर्चे पर निर्माण हटा लेवें अन्यथा सरकारी खर्चे पर निर्माण हटवा दिया जावेगा जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी अतिचारी की होगी। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.09.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि प्रकरण के तथ्यों के संबंध में हल्का पटवारी के सशपथ बयान कराते एवं अपीलान्ट को हल्का पटवारी से क्रॉस करने का अवसर प्रदान करते, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बिना उसकी साक्ष्य लिए एवं बिना अपीलान्ट को जिरह का अवसर दिये सरसरी तौर पर अपीलान्ट के विरूद्व आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है। उन्होंने आगे कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि विवादित भूमि बाबत् अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है साथ ही विवादित भूमि की खातेदारी निरस्त कर सन् 1947 की स्थिति को बहाल किये जाने के संदर्भ में राजस्व मण्डल में रेफरेन्स लम्बित है, परन्तु अपने कथन के समर्थन में पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल पटवारी हल्का के मौखिक कथनों के आधार पर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उनके द्वारा विवादित भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं किया गया है बल्कि निर्माण पूर्वजों के समय से है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है तथा तत्कालीन तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं सरपंच द्वारा किस्म परिवर्तन बाबत् अनुशंषा कर पत्रावली जिला कलक्टर महोदय को भिजवाई गई है तथा किस्म परिवर्तन होने पर नियमानुसार संपरिवर्तन करवा लिया जावेगा किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि यदि यह मान भी लिया जावे कि विवादित भूमि की खातेदारी को निरस्त करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स की कार्यवाही लम्बित है तो भी इस आधार पर प्रश्नगत भूमि को गैर कानूनी नहीं माना जा सकता जब तक उक्त न्यायालय द्वारा रेफरेन्स का गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय नहीं कर दिया जाता। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी एवं तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज कर विवादित भूमि को गैर कानूनी मानते हुए अपीलान्ट द्वारा करवाये गये निर्माण को अविधिक मानकर आक्षेपीय आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

कार्यालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर निर्माण किया गया है उक्त भूमि की किस्म आबी है जो किसी भी प्रकार से आवंटन योग्य भूमि नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गलत आवंटन को निरस्त करवाये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर सक्षम

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी से संपरिवर्तन करवाये बिना पक्का निर्माण कर लिया गया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का स्पष्ट उल्लघंन है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि पर निर्माण कार्य कर बिना सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्य किया गया है जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का स्पष्ट उल्लघंन है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि की किस्म आबी होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी निरस्त करवाये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु कलक्टर महोदय के समक्ष कार्यवाही की जा रही है जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चल रही हैं। रेफरेन्स प्रकरण के अन्तिम निर्णय से पूर्व विवादित भूमि पर अकृषि कार्य किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता।

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner